

संदर्भ: आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/जीडीएल/176/10/2023
Ref: IRDAI/NL/CIR/GDL/176/10/2023

दिनांक: 9 अक्टूबर, 2023
Date: 9th October, 2023

**सभी साधारण बीमाकर्ता (ईसीजीसी और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
ALL GENERAL INSURERS (EXCEPT ECGC and Stand-Along Health Insurers)**

विषय: व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश, 2021 - दिशानिर्देश 5.3क का आशोधन - टीआरडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग” की अनुमति देना

Re: Trade Credit Insurance Guidelines, 2021 - Modification to Guideline 5.3A – allowing “reverse factoring” on TReDS platforms

1. प्राधिकरण ने क्रेताओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान न करने के जोखिम के विरुद्ध व्यवसाय का संरक्षण करने के लिए व्यापार ऋण बीमा के संबंध में सितंबर, 2021 में दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों में ऐसा विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है जिसने आपूर्तिकर्ताओं एवं बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को व्यापार ऋण बीमा कवरों की सुविधा प्रदान की है। इसने एसएमईएस और एमएसएमईएस के लिए व्यवसायों में सुधार लाने के लिए भी आवश्यकतानुरूप कवर उपलब्ध कराये हैं।

The Authority issued guidelines on trade credit insurance in September, 2021 to protect business against the risk of non-payment for goods and services by buyers. The Guidelines set out the regulatory framework that facilitated trade credit insurance covers to suppliers as well as to banks and other financial institutions. It also provided customised covers to improve businesses for SMEs and MSMEs.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएमई द्वारा तरल निधियों में अपने प्राप्य व्यापार को परिवर्तित करने में अनुभव किये जा रहे दबावों से सुगमता लाने के लिए प्राप्य व्यापार बट्टा प्रणाली (टीआरडीएस) के लिए जुलाई, 2018 में दिशानिर्देश जारी किये हैं। प्राप्त अनुभव के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने जून, 2023 में टीआरडीएस लेनदेनों के लिए बीमा सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया है, जो चूक जोखिम से बचाव करने तथा उसके द्वारा टीआरडीएस में “चौथे सहभागी” के रूप में सहभागिता करने और “प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग” करने में वित्तदाताओं की सहायता करेगा।

RBI in order to ease constraints faced by MSME, in converting their trade receivable to liquid funds, issued guidelines in July, 2018 for the trade receivable discounting system (TReDS). Based on experience gained, RBI in June, 2023 decided to permit insurance facility for TReDS transactions, which would aid financiers to hedge default risk, thereby allowing insurance companies to participate as “fourth participant” in TReDS and undertake “reverse factoring”.

3. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उठाये गये कदमों के आलोक में आईआरडीएआई ने टीआरडीएस प्लेटफार्मों पर “प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग” के आधार पर व्यापार ऋण बीमा कवर की व्यवहार्यता की जाँच की है। व्यापार ऋण बीमा कवर वित्तदाताओं को टीआरडीएस प्लेटफार्म पर वित्तपोषित बीजकों के आधार पर क्रेता की चूक को कवर करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आईआरडीएआई (व्यापार ऋण बीमा) दिशानिर्देश, 2021 टीआरडीएस प्लेटफार्म जैसे बीजक बट्टा ई-प्लेटफार्मों पर बिल बट्टा / फैक्ट्रिंग के माध्यम से एकल बीजक कवरों की अनुमति देते हैं। ये टीआरडीएस में “चौथे सहभागी” के रूप में सहभागिता करने के लिए प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग लेनदेनों के आधार पर कवर को प्रतिबंधित करते हैं।

In light of the steps taken by RBI, IRDAI examined the feasibility of Trade Credit Insurance cover against “reverse factoring” transactions on TReDS platforms. Trade Credit Insurance cover is provided to the financiers to cover default of the buyer against the invoices financed on TReDS platform. IRDAI (Trade Credit Insurance) Guidelines, 2021 allows single Invoice covers through bill discounting / factoring on Invoice discounting e-Platforms such as TReDS. However, it restricts cover against reverse factoring transactions to participate as “Fourth Participant” in TReDS.

4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि “प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग” के माध्यम से वित्तदाता निम्न रेटिंग-प्राप्त अथवा रेटिंग-रहित खरीदारों पर एक्सपोज़र ले सकते हैं, बशर्ते व्यापार ऋण बीमा कवर लेने के द्वारा बीमाकर्ताओं के पास चूक जोखिम का बचाव किया जाता है, अतः टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर “प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग” लेनदेनों को सुसाध्य बनाने के लिए उक्त दिशानिर्देशों के पैरा 5.3क को अब “(क) प्रतिवर्ती फैक्ट्रिंग (टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर स्थित को छोड़कर)” के रूप में पढ़ा जाएगा। In view of the fact that through “reverse factoring”, the financiers can take exposure on low rated or unrated buyers provided the default risk is hedged with insurers by taking Trade Credit Insurance cover, therefore, in order to facilitate “reverse factoring” transactions on TReDS platform, para 5.3A of the guidelines will be now read as “(a) Reverse Factoring (except on TReDS platforms)”.
5. व्यापार ऋण बीमा दिशानिर्देश 2021 के अन्य सभी उपबंध और अपेक्षाएँ अपरिवर्तित रहेंगी।
All the other provisions and requirements of Trade Credit Insurance Guidelines 2021 shall remain unaltered.
6. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
This circular shall come into force with immediate effect.

हस्ता. / Sd / -

**(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal)
कार्यकारी निदेशक (गैर-जीवन) / ED (Non-Life)**